(6)

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 29 मार्च, 1974 को 11.00 बजे पूर्वान्ह में हुयी उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1974 की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1) श्री जगदीश शरण अग्रवाल		अध्यक्ष
(2) श्री वीरेन्द्र सिंह कटारा	आवास आयुक्त	सदस्य
(3) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
(4) श्री अहमद नूल खां		सदस्य
(5) श्री एम0यू0अहमद	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
(6) श्री कल्यान दास जैन		सदस्य
(7) श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
(8) श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
(9) श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी	मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ।	सदस्य
(10) श्री वी0एन0खन्ना	सचिव, स्वायत्त शासन एवं निवास विभाग	सदस्य
(11) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पद संख्या	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
(1)	परिषद की दिनांक 11 जनवरी, 1974 को हुई वर्ष 1974 की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	11/(1)/74	परिषद ने दिनांक 11 जनवरी, 1974 को हुयी प्रथम बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया । कार्यवृत्त के पद सं0-2 के संबंध में विशेष सचिव (वित्त) के अ0शा0पत्र सं0 ई-6-238/दस-5/69/71 दिनांक 23 जनवरी, 74 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डिजाइन खण्डों के हेड-क्लर्क-कम-एकाउन्टेन्ट को स्वीकृत रु0 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-9 (25) के अधीन ही देय होगा । उक्त संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
(2)	परिषद की वर्ष 1974 की प्रथम बैठक दिनांक 11 जनवरी, 1974 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	11/(2)/74	परिषद ने दिनांक 11 जनवरी, 1974 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
(3)	परिषद के वित्तीय वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक में सम्मिलित अधिष्ठान एवं योजनाओं के ब्यौरे वार अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 1973-74 के पुनरीक्षित अनुमान ।	11/(3)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक की तथा वित्तीय वर्ष 1973-74 के पुनरीक्षित आय-व्ययक की स्वीकृति दी ।
(4)	जीप अथवा पिकअप के स्थान पर कुछ ऐम्बेसडर कार भी क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ।	11/(4)/74	सर्वसम्मति से जीप अथवा पिकअप के स्थान पर आवश्यकतानुसार कुछ ऐम्बेसडर कार खरीदने की स्वीकृति दी गयी । परिषद ने यह मत व्यक्त किया कि भविष्य में ऐसे मामले में अध्यक्ष महोदय स्वयं निर्णय ले लिया करें जिसे परिषद का निर्णय समझा जाय ।

[signature]

उप आवास आयुक्त एवं सचिव

क्र0प्र0उ0

(7)

1	2	3	4
(5)	मण्डलीय लेखाकारों के वेतनक्रम के पुनरीक्षण पर विचार ।	11/(5)/74	मण्डलीय लेखाकारों के पदों के लिये वेतनमान निधारित करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले मण्डलीय लेखाकारों के लिये बिना वेतनमान के पद स्वीकृत किये गये । अन्य श्रोतो से लिये जाने वाले मण्डलीय लेखाकारों के लिये वेतनमान स्वीकृत करने का प्रस्ताव अगली बैठक में विचार-विमर्श हेतु स्थगित किया गया ।
(6)	निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु परचेज कमेटी का गठन ।	11/(6)/74	विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद ने निर्णय लिया कि किसी परचेज कमेटी के गठन की आवश्यकता नही है । निर्माण सामग्री क्रय करने के लिये परिषद के अभियन्ताओं को वही अधिकार दिये जाते हैं जो उत्तर प्रदेश शासन के अभियन्ताओं को उपलब्ध है ।
(7)	खण्डों के लिये स्टाक लिमिट का निर्धारण ।	11/(7)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से समस्त खण्डों के लिये 60 लाख रुपये की स्टाक लिमिट निधारित करने का निर्णय लिया ।
(8)	कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेन्सरी के लिये चिरन्जी लाल कन्या विद्यालय भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, अलीगढ़ में भूमि का आवंटन किया जाना ।	11/(8)/74	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को 4 एकड़ तक भूमि निधारित शर्तों पर कर्मचारी राज्य बीमा डिस्पेन्सरी तथा अस्पताल के लिये चिरन्जी लाल कन्या विद्यालय के पास की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, अलीगढ़ में आवंटित की जाये ।
(9)	धोसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गोरखपुर ।	11/(9)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से सभी परिस्थितियों पर विचार करके यह निर्णय लिया कि इस योजना को समाप्त किया जाये ।
(10)	आइजट नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0 2, बरेली में समाविष्ट नगर पालिका, बरेली की भूमि व सड़कों का मूल्य देने के संबंध में ।	11/(10)/74	सभी परिस्थितियों पर विचार करके परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस योजना क्षेत्र में समाविष्ट नगर पालिका, बरेली की सड़कों की भूमि को सीधी बातचीत द्वारा क्रय करने का प्रश्न इसलिये नही उठता क्योंकि परिषद योजना क्षेत्र में बनाई जा रही सड़कें, पार्क इत्यादि का क्षेत्रफल उन सड़कों की भूमि के क्षेत्रफल से कहीं अधिक होगा व योजना क्षेत्र में बनाई गई सड़कें, पार्क इत्यादि नगर पालिका बरेली को हस्तान्तरित कर दिया जायगा ।
(11)	पार्क रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में सचिवालय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में भूमि आवंटित करने के संबंध में ।	11/(11)/74	विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पार्क रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में सचिवालय कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पक्ष में ~~छोड़ी~~ जाने वाली भूमि के विकास कार्य परिषद द्वारा किये जायं तथा समिति से विकास ~~xxxxxxxxx~~ कार्यों की व्यय योजना के समस्त भूमि तथा समिति के पक्ष में ~~छोड़ी~~ जाने वाली भूमि के क्षेत्र के अनुपात में पेशगी जमा करा लिया जाय । ऐसे विकास कार्यों के व्यय में वाह्य विकास का अनुपातिक अनुमानित मूल्य भी सम्मिलित होगा ।
(12)	पठानपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सं0 3, सहारनपुर के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के संबंध में नियोजन एवं विकास समिति की 40 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार ।	11/(12)/74	इस मामले पर विचार स्थगित किया गया ।

(८)

1	2	3	4
(13)	पठानपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 4, सहारनपुर में समाविष्ट प्लाट सं0 110 को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में मेजर पी0एस0वर्मा की प्रार्थना (पत्र दिनांक 23-1-74)	II/(13)/74	इसमामले पर विचार स्थगित किया गया ।
(14)	गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-7, मेरठ के प्राक्कलन का परिषद के अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्वीकृति का प्रस्ताव ।	II/(14)/74	सर्वसम्मति से इस योजना का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि इसे धारा 31 के अधीन शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जाय ।
(15)	मेरठ गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर मेडिकल कालेज के सामने स्थित भूमि पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-6, मेरठ का प्राक्कलन परिषद के अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्वीकृति का प्रस्ताव ।	II/(15)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से इस योजना का अनुमोदन किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे धारा 31 के अधीन शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जाए ।
(16)	रामनगर सड़क पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर जिला नैनीताल ।	II/(16)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से इस योजना का अनुमोदन किया तथा यह निर्णय लिया कि इसे धारा 28 के अधीन प्रकाशित करने तथा आगे चलाने की कार्यवाही की जाए ।
(17)	परिषद की आवासीय योजनाओं में विद्युतीकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।	II/(17)/74	परिषद ने विद्युतीकरण के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही को स्वीकृत करते हुये एक उप-समिति का गठन किया जो कि विद्युतीकरण एवं बाह्य विकास के संबंध में विद्युत परिषद तथा शासन से विचार विमर्श करके ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न करें जिससे योजना के कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके तथा अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े । इस उप-समिति के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गये :- 1-अध्यक्ष 2-आवास आयुक्त 3- श्री जे0सी0दीक्षित यह भी निर्णय लिया गया कि इस समिति का निर्णय परिषद का निर्णय माना जायेगा ।
(18)	नियतावधि जमा (Fixed Deposit) के माध्यम से संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में ।	II/(18)/74	परिषद ने सर्वसम्मति से नियतावधि जमा के माध्यम से संसाधन जुटाने के कार्य को सिद्धान्त रूप से मान लिया तथा यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त इसे व्यवहारिक रूप दें तथा योजना को चलायें ।
(19)	परिषद द्वारा किये गये कार्यों का फरवरी, 1974 की भौतिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में ।	II/(19)/74	परिषद ने योजनाओं में फरवरी, 1974 तक किये गये कार्यों की भौतिक प्रगति के विवरण का अवलोकन किया ।
(20)	भवनों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।	II/(20)/74	परिषद ने भवनों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित करने की प्रक्रिया को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया ।
(21)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	II/(21)/74	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, एम0पी0, सदस्य ने यह सुझाव दिया कि आर्थिक दृष्टि से समाज के दुर्बल वर्ग को आवास परिषद द्वारा पूर्ण सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । साथ ही यह भी कि इस संबंध में परिषद द्वारा अब

आवास आयुक्त एवं सचिव

1	2	3	4
			तक की गयो कार्यवाही की समीक्षा की जाय तथा भविष्य-के लिये कार्यक्रम बनाये जाये । इस पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निम्न सदस्यों की एक उप-समिति गठित की गयी जो अपना विचार एवं सुझाव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी :- 1- श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, एम०पी० 2- श्री राज बहादुर व्दिवेदी, एम०एल०सी० 3- श्री जयन्ती प्रसाद दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक । समिति को विचार हेतु आवश्यक अभिलेख, आँकड़ें आदि, आवास आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये जायगें ।
		(2)	आवास एवं विकास परिषद् के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों (भूतपूर्व/वर्तमान/भविष्य में होने वाले) को भूखण्ड/भवन प्राथमिकता के अधार पर आवंटित किये जाने के कुछ सदस्यों के प्रस्ताव पर परिषद् ने इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति दी कि इसके कार्यान्वियन से पूर्व वैधानिक औचित्य का परीक्षण करा लिया जाय ।